"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 990] नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2025 — पौष 10, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

अधिसूचना

क्र. / 4067 / 3290 / 21–ब / छ.ग. / 2025.— भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (क्रमांक 46 सन् 2023) की धारा 18 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर से परामर्श उपरांत, एतद्द्वारा, श्री विवेक शर्मा, महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हेतु उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करता है।

No./4067/3290/XXI-B/C.G./2025.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 18 of The Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023), the State Government, after consultation with the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints Shri Vivek Sharma, Advocate General, Chhattisgarh as Public Prosecutor for the High Court of Chhattisgarh in respect of cases arising in the State of Chhattisgarh with effect from the date he assumes charge of his office.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भूपेन्द्र कुमार वासनीकर, अतिरिक्त सचिव..

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.